10

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-10/JU/2024 दिनांक 19.11.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 10/2024

विषय :- गाड़ी विभाजन हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही।

इसका अभिप्राय किसी गाड़ी की चलती हुई स्थिति में विभाजन हो जाने से है जो कि कपलिंग खुलने या टूटने के कारण होता है। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी –

☐ जब किसी गाड़ी के लोको पायलट को गाड़ी संचालन के दौरान यह पता चले कि उसकी गाड़ी का विभाजन हो गया है तो वह इस बात की सूचना अपनी गाड़ी के गार्ड को देने के लिए – 0 – 0 (लम्बी छोटी लम्बी छोटी) सीटी बजाएगा जब तक कि गार्ड इसकी पावती दिन में हरी झंडी व रात के समय सफेद बत्ती को सिर से पैर तक ऊपर नीचे हिलाकर न दे दे। यदि गाड़ी विभाजन की जानकारी पहले गार्ड को, हो जाए तो वह उपरोक्त हैंड सिगनल लोको पायलट को तब तक दिखाएगा जब तक कि लोको पायलट – 0 – 0 (लम्बी छोटी लम्बी छोटी) सीटी बजाकर इसकी पावती न दे।

☐ लोको पायलट अपने अगले भाग को जहाँ तक संभव हो आगे की ओर चलाने का प्रयास करेगा, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि पिछला भाग रुक गया हैं इस बीच वह पीछे की ओर सतर्क निगाहों से देखता रहेगा ताकि पीछे के भाग को आगे के भाग से टकराने से बचाया जा सके। गार्ड अपने पीछे के भाग को रोकने के लिए ब्रेकवान से हैंड ब्रेक लगाएगा व पिछला भाग रुक जाता है तो लोको पायलट को लाल झंडी/बत्ती दिखाकर रोकेगा या पीछे की ओर गाड़ी में यदि बैंकिंग इंजन लगा हुआ हो तो उसका लोको पायलट पीछे के भाग को तुरन्त ब्रेक लगाकर रोक देगा।

☐ जब लोको पायलट देखता है कि पिछला भाग रुक गया है तो वह अपने आगे के भाग को भी रोक देगा एवं उसके बाद सहायक लोको पायलट आगे व गार्ड पीछे से यह देखने जाएंगे कि गाड़ी का विभाजन किस कारण से हुआ है। उसके पश्चात् वे निम्न कार्यवाही करेंगे :–

☐ यदि कपलिंग खुल गया है और उसे जोड़ा जा सकता है तो वे पुनः कपलिंग जोड़कर वैक्यूम/एयर प्रेशर आने पर गाड़ी रवाना करके ब्लॉक सेक्शन साफ कर देंगे।

☐यदि कपलिंग टूट गया हो और उसे जोड़ना संभव न हो तो मजबूरीवश उस गाड़ी को दो भागों में ही स्टेशन पर ले जाना पड़ेगा। ऐसे में स्वेच्छापूर्वक गाड़ी विभाजन (गाड़ी का भाग ब्लॉक सेक्शन में छूट जाना) के नियमों का पालन करेंगे।

☐ यदि लोको पायलट अगले भाग को रोकने से पूर्व अगले स्टेशन के नजदीक पहुँच जाता है तो वह उस स्टेशन के आगमन सिगनलों का पालन करते हुए स्टेशन पर पहुँचेगा एवं गाड़ी विभाजन की सूचना – 0 – 0 सीटी बजाकर देगा। यदि उसके पास कोई वस्तुरूपी प्रस्थान आदेश है तो वह स्टेशन मास्टर को तब तक नहीं सौंपेगा जब तक कि शेष भाग भी उस स्टेशन पर नहीं पहुँच जाए। यदि लोको पायलट द्वारा गलती से प्रस्थान आदेश स्टेशन मास्टर को सौंप भी दिया जाए तो वह उसे तब तक अपने पास सुरक्षित रखेगा जब तक कि शेष भाग उस स्टेशन पर सुरक्षित न पहुँच जाए। पहले भाग के स्टेशन आने के बाद स्टेशन मास्टर उसके अन्तिम वाहन को जाँचेगा कि वाहन क्षतिग्रस्त कपलिंग के साथ तो नहीं आया है। यदि कपलिंग क्षतिग्रस्त दिखाई देता है तो इसकी सूचना कन्ट्रोल को दी जाएगी एवं उसके निर्देशों का पालन किया जाएगा।

☐ स्टेशन मास्टर को गाड़ी विभाजन की सूचना मिलते ही वह इसकी सूचना पिछले स्टेशन को निर्धारित ब्लॉक उपकरण के बेल कोड (000000 पॉस 000) द्वारा देगा। फिर दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टर उस विभाजित शेष भाग को अपने स्टेशन पर सुरक्षित रूप से लेने के लिए कार्यवाही करेंगे। यदि मान लें कि किसी सेक्शन में तीन स्टेशन 'अ', 'ब' व 'स' हैं। यदि कोई गाड़ी स्टेशन 'ब' से रनिंग थ्रू जा रही हो और ऑल राइट मिलाते समय स्टेशन मास्टर को यह पता चले कि उसका विभाजन हो गया है तो वह लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाड़ी विभाजन का हैंड सिगनल दिन में हरी झंडी व रात के समय सफेद बत्ती जितना संभव हो उतना ऊपर से नीचे की ओर हिलाकर दिखाएगा एवं इसकी सूचना स्टेशन 'अ' व 'स' दोनों को देगा।

पिछले स्टेशन को 'ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन' का संकेत नहीं देगा। स्टेशन मास्टर उस विभाजित भाग को अपने स्टेशन पर सुरक्षित रूप से लेने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करेगें –

☐ लुढ़कते हुए भाग के रास्ते में पटरी पर रेती, गिट्टी इत्यादि डलवाएंगे (यदि इंजीनियरिंग गैंग आसपास हो तो उसकी मदद से)। विभाजित भाग को स्टेशन की किसी खाली लाइन जो रेतीले डेड एण्ड में समाप्त होती हो, उस पर लेंगे।

☐ पॉइट को स्लिप या कैच साइडिंग के लिए लगाएंगे, यदि स्टेशन पर हो तो।

☐ यदि अगला ब्लॉक सेक्शन साफ हो तो पॉइन्ट ब्लॉक सेक्शन की ओर लगाकर छोड़ देंगे।

☐ उपरोक्त कार्यवाही करने के बाद स्टेशन मास्टर उस विभाजित भाग को अपने स्टेशन पर आने का इन्तजार करेंगे। डबल लाइन का सेक्शन हो तो स्टेशन मास्टर पास वाली लाइन पर किसी भी गाड़ी को नहीं भेजेगा। जब तक शेष भाग के सुरक्षित रूप से लाइन पर खड़े होने का पता न लग जाए।

☐ उधर ब्लॉक सेक्शन में गार्ड अपने पीछे वाले भाग को हैंड ब्रेक लगाकर रोकेगा। उसके पश्चात् उसे यह पता चले कि लोको पायलट अगला भाग लेकर स्टेशन की ओर चला गया है तो वह अपने शेष भाग की सुरक्षा विशेष अनुदेशों के अनुसार करेगा एवं उस विभाजित भाग का बचाव दोनों ओर से नियम संख्या 6.03 के अनुसार ब्रॉडगेज में 600–1200–10–10 मीटर पटाखे लगाकर करेगा। इसके पश्चात् वह पीछे की ओर जाकर आखरी पटाखे से 45 मीटर की दूरी पर खतरे का हैंड सिगनल लेकर खड़ा रहेगा।

☐ उस सेक्शन में चलने वाली सबसे धीमी मालगाड़ी के रनिंग टाइम एवं 30 मिनट तक दोनों स्टेशन मास्टर उस शेष भाग के आने का इन्तजार करेंगे। यदि इतने समय में भी शेष भाग दोनों में से किसी भी स्टेशन पर नहीं पहुँचता है तो मान लिया जाएगा कि वह रास्ते में कहीं रुक गया है।

☐ उस शेष भाग को लाने हेतु स्टेशन मास्टर लाइट इंजन को भेजेगा व उसके लोको पायलट को प्राधिकार के रूप में टी/ए–602 का प्राधिकार देगा। साथ ही लोको पायलट द्वारा लाया गया टोकन/टैबलेट/टिकट यदि लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को दे दिया है, तो वह भी स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को दिया जाएगा। इस प्राधिकार के आधार पर लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन में सावधानीपूर्वक जाएगा व गार्ड द्वारा लगाए गए पटाखे फोड़ने के बाद या शेष भाग को देखकर अपने इंजन को उसके पास ले जाकर रोकेगा। गार्ड को बुलाने के लिए एक लगातार लम्बी सीटी बजाएगा। गार्ड सीटी सुनकर आखरी तीन पटाखों को वहीं लाइन पर लगा हुआ छोड़कर वापस आते समय 600 मीटर पर लगा पटाखा उठाकर अपने लोड पर आ जाएगा। गार्ड के सुपरविजन में इंजन को लोड से जोड़ा जाएगा, सभी ब्रेक पाइप आदि जोड़ दिए जाएंगे। इंजन को जोड़ने से पूर्व सुरक्षा चैन व वुडन वैजेस यदि लगाए गए हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इंजन में पर्याप्त वैक्यूम/एयर प्रेशर आ जाने के बाद लोको पायलट अपना ए–9 द्वारा गाड़ी में ब्रेक लगाएगा। इसके पश्चात् हैंड ब्रेकों को खोल दिया जाएगा। जब गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाए तो लोको पायलट गार्ड से ऑल राइट लेकर रवाना होगा व अगले स्टेशन के आगमन सिगनलों का पालन करते हुए स्टेशन पर पहुँचेगा।

☐ अगले स्टेशन पहुँचकर लोको पायलट व गार्ड दोनों स्टेशन मास्टर कार्यालय में जाकर ट्रेन सिगनल रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित करेंगे कि ब्लॉक सेक्शन पूरी तरह साफ व गाड़ियों के संचालन के लिए सुरक्षित है।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ. म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ ।